विं प्रकरण संख्या मनुज...

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 08/2021

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री शैतानदान पुत्र श्री गंगादान जाति कविया चारण निवासी बिराई पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी, सिरोही
2. श्री दलपतराज परमार अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 11.09.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.2020 को श्री पूराराम उनि. थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम ने श्री अंकित जैन आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही को सूचना दी कि नेशनल हाईवे नम्बर 62 सरहद पालडी एम पर स्थित जसनाथ होटल के पास बंद पेट्रोल पम्प परिसर में खडे टैंकरों के बीच में एक टैंकर चालक अपने टैंकर की सील तोडकर डीजल की चोरी कर रहे है। उक्त सूचना पर उपअधीक्षक पुलिस व अन्य पहुंचें। मौके पर एक टैंकर जिसमें करीबन 23000 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा लाल रंग के ड्रम जिसमें 35 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार कुल 23000 लीटर डीजल टैंकर में भरा हुआ तथा 35 लीटर डीजल ड्रम में भरा हुआ पाया गया। उक्त डीजल के बारे में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उक्त डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 28.05.2020 को श्री पूराराम उनि. थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम ने श्री अंकित जैन आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही को सूचना दी कि नेशनल हाईवे नम्बर 62 सरहद पालडी एम पर स्थित जसनाथ होटल के पास बंद पेट्रोल पम्प परिसर में खडे टैंकरों के बीच में एक टैंकर चालक अपने टैंकर की सील तोडकर डीजल की चोरी कर रहे है और टैंकर मालिक उस तेल को अवैध रूप से बेच रहा है। उक्त सूचना पर मन वृताधिकारी वृत सिरोही मय सरकारी वाहन जाब्ता के उपस्थित हुए। मौके पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पहुंचने पर एक टैंकर नम्बर आरजे 27 जीडी 0760 खडा दिखाई दिया, जिसकी टंकी के ऊपर टैंकर चालक खडा था, जिसके पास में एक ट्रेक्टर नम्बर आरजे 24 पीए 6451 खडा मिला जिसके पीछे लाल रंग का ड्रम रखा हुआ था, जिसके अन्दर एक प्लॉस्टिक की नली लगी हुई थी, जिसके माध्यम से टैंकर की टंकी से डीजल चोरी करके निकाला जा रहा था। टैंकर चालक से नाम पूछने पर अपना नाम श्री शैतानदान पुत्र श्री गंगादान जाति कविया चारण निवासी बिराई पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर होना बताया एवं टैंकर के पास खडे ट्रेक्टर नम्बर आरजे 24 पीए 6451 एवं उसके चालक के बारे में पूछने पर नाम मालूम होना नहीं बताया, क्योंकि वह पुलिस पार्टी को देखकर पीछे बबूल की झाडियों की तरफ भाग गया। मौके पर टैंकर को चैक किया गया तो उक्त टैंकर की सील टूटी हुई थी तथा इस टैंकर में से 35 लीटर डीजल चोरी किया गया था, जो ट्रेक्टर चालक को बेचना था। टैंकर का नाप करने पर टैंकर में कुल पांच कम्पार्टमेन्ट बने हुए थे, जिसमें प्रथम कम्पार्ट में 5000 लीटर, द्वितीय कम्पार्ट में 5000 लीटर, तृतीय कम्पार्ट में 5000 लीटर, चतुर्थ कम्पार्ट में 4000 लीटर एवं पंचम कम्पार्ट में 4000 लीटर डीजल भरने की क्षमता थी। इस प्रकार कुल पांचों कम्पार्ट में कुल 23000 लीटर डीजल भरा हुआ था। मौके पर श्री शैतानदान से टैंकर की तोडी गई पांचों टूटे हुए कम्पार्टमेन्ट की सीलें जब्त की गई। उक्त व्यक्तियों से पूछने पर बताया कि उक्त डीजल को सस्ते दामों में खरीदकर बाद में उच्च दामों में अन्य लोगों को बेचान किया जाता है। अतः इस प्रकार करीबन 23000 लीटर डीजल टैंकर में तथा कुल 35 लीटर डीजल, जो ड्रमों में भरा था, का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त डीजल को अप्रार्थी के मालिकी का होने से उन्हें सुपूर्द किया जावे। उनके द्वारा निवेदन किया कि उक्त डीजल नायरा एनर्जी लिमिटेड कम्पनी का था, जिसे जब्त सरकार किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। यह है कि उक्त प्रकरण में जब्त 35 लीटर डीजल के अलावा टैंकर में डीजल भरा हुआ होने से उस डीजल की एफ.एस.एल. जांच भी हुई, जिसमें वह डीजल होना सही पाया गया। अतः कब्जे सरकार लिये गये समस्त डीजल को उन्हें सुपूर्द किया जावे, जिस हेतु श्रीमान न्यायालय में जमा बैंक गारण्टी को टैंकर के मालिक को लौटाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 28.05.2020 को श्री पूराराम उनि. थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम ने श्री अंकित जैन आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही को सूचना दी कि नेशनल हाईवे नम्बर 62 सरहद पालडी एम पर स्थित जसनाथ होटल के पास बंद पेट्रोल पम्प परिसर में खडे टैंकरों के बीच में एक टैंकर चालक अपने टैंकर की सील तोडकर डीजल की चोरी कर रहे है और टैंकर मालिक उस तेल को अवैध रूप से बेच रहा है। उक्त सूचना पर मन वृताधिकारी वृत सिरोही मय सरकारी वाहन जाब्ता के उपस्थित हुए। मौके पर पहुंचने पर एक टैंकर नम्बर

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आरजे 27 जीडी 0760 खडा दिखाई दिया, जिसकी टंकी के ऊपर टैंकर चालक खडा था, जिसके पास में एक ट्रेक्टर नम्बर आरजे 24 पीए 6451 खडा मिला जिसके पीछे लाल रंग का ड्रम रखा हुआ था, जिसके अन्दर एक प्लॉस्टिक की नली लगी हुई थी, जिसके माध्यम से टैंकर की टंकी से डीजल चोरी करके निकाला जा रहा था। टैंकर चालक से नाम पूछने पर अपना नाम श्री शैतानदान पुत्र श्री गंगादान जाति कविया चारण निवासी बिराई पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर होना बताया एवं टैंकर के पास खडे ट्रेक्टर नम्बर आरजे 24 पीए 6451 एवं उसके चालक के बारे में पूछने पर नाम मालूम होना नहीं बताया, क्योंकि वह पुलिस पार्टी को देखकर पीछे बबूल की झाडियों की तरफ भाग गया। मौके पर टैंकर को चैक किया गया तो उक्त टैंकर की सील टूटी हुई थी तथा इस टैंकर में से 35 लीटर डीजल चोरी किया गया था, जो ट्रेक्टर चालक को बेचना था। टैंकर का नाप करने पर टैंकर में कुल पांच कम्पार्टमेन्ट बने हुए थे, जिसमें प्रथम कम्पार्ट में 5000 लीटर, द्वितीय कम्पार्ट में 5000 लीटर, तृतीय कम्पार्ट में 5000 लीटर, चतुर्थ कम्पार्ट में 4000 लीटर एवं पंचम कम्पार्ट में 4000 लीटर डीजल भरने की क्षमता थी। इस प्रकार कुल पांचों कम्पार्ट में कुल 23000 लीटर डीजल भरा हुआ था। मौके पर श्री शैतानदान से टैंकर की तोडी गई पांचों टूटे हुए कम्पार्टमेन्ट की सीलें जब्त की गई। उक्त व्यक्तियों से पूछने पर बताया कि उक्त डीजल को सस्ते दामों में खरीदकर बाद में उच्च दामों में अन्य लोगों को बेचान किया जाता है। अतः इस प्रकार करीबन 23000 लीटर डीजल टैंकर में तथा कुल 35 लीटर डीजल, जो ड्रम में भरा था, का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया गया करीबन 23000 लीटर डीजल, जो टैंकर नम्बर आरजे 27 जीडी 0760 में भरा हुआ था, नायरा एनर्जी लिमिटेड का था, जिसके बिल की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उक्त डीजल की एफ.एस.एल. रिपोर्ट में डीजल होना ही पाया गया है। अतः टैंकर में भरे हुए करीबन 23000 लीटर डीजल को उसके स्वामी को लौटाए जाना न्याय संगत होगा एवं मौके पर ड्रम में भरा हुआ कुल 35 लीटर डीजल, जिसके अप्रार्थी के पास कोई बिल या अनुज्ञापत्र उपलब्ध नहीं होने से चोरी का डीजल होना प्रतीत होता है एवं इसके संबंध में अप्रार्थी अधिवक्ता ने भी किसी भी प्रकार का कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है। अतः ड्रम में भरे हुए कुल 35 लीटर डीजल को राज्यसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

चूंकि टैंकर नम्बर आरजे 27 जीडी 0760 में भरा हुआ करीबन 23000 लीटर डीजल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2020 को उसके मालिक को रूपए 12 लाख की बैंक गारन्टी पर दिए जाने का आदेश दिया जा चुका है एवं मौके पर ड्रम में भरा हुआ कुल 35 लीटर डीजल चोरी का प्रतीत होने से एवं बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये लाल रंग के ड्रम में भरा हुआ कुल 35 लीटर डीजल एवं एक प्लॉस्टिक की नली को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि टैंकर नम्बर आरजे 27 जीडी 0760 में भरा हुआ करीबन 23000 लीटर डीजल एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट में भी डीजल होना ही पाया जाने से टैंकर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मालिक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी नम्बर 6681आईपीईबीजी200001 जो दिनांक 10.07.2020 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा फतेहपुरा रोड उदयपुर द्वारा श्री विजय गोपालिया के नाम जारी की गई थी, को रिलीज किया जाता है। उक्त बैंक गारन्टी मूल ही टैंकर मालिक को लौटाई जाकर उसकी प्रति बतौर अभिलेख पत्रावली में रखी जावे।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए लाल रंग के ड्रम में भरा हुआ कुल 35 लीटर डीजल एवं एक प्लॉस्टिक की नली का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Scanned with CamScanner